

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492001.

क्रमांक : 1187/जी-939/2009/1-सूअप्र,
प्रति,

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त, 2009.

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।

27 OCT 2009
88888888

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवेदनों का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से सम्बद्ध सूचना मांगी गई हो ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक-4982/वि.स./विधान/2009, दिनांक 24.06.2009.

—0—

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवेदनों, जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से संबंधित सूचना मांगी गई हो, के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या. 10/2/2008-आई.आर., दिनांक 01 जून, 2009 की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

(सैयद कौसर अली)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

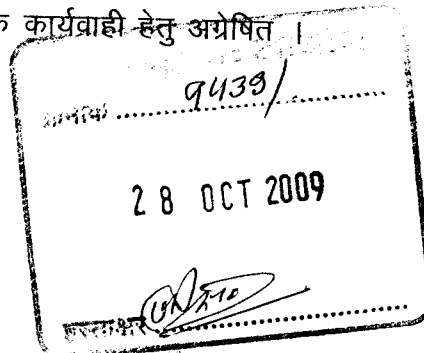
सामान्य प्रशासन विभाग

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त, 2009.

पृष्ठांकन क्रमांक : 1188/जी-939/2009/1-सूअप्र,
प्रतिलिपि :-

1. श्री कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र संख्या. 10/2/2008-आई.आर., दिनांक 01 जून, 2009 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।
2. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, छ0ग0 रायपुर ।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छ0ग0शासन, रायपुर ।
4. सचिव, छ0ग0राज्य सूचना आयोग, शंकर नगर, रायपुर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

No.10/2/2008-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated: the 1st June, 2009

OFFICE MEMORANDUM

7 AUG 2009

Subject: RTI applications received by a public authority relating to information concerning other public authority/authorities.

Attention is invited to clause (iii) of para 3 of this Department's OM of even number dated 12th June, 2008 on the above noted subject which, inter-alia, states as follows:

"It is beyond the scope of the Act for a public authority to create information. Collection of information, parts of which are available with different public authorities, would amount to creation of information which a public authority under the Act is not required to do."

2. The Central Information Commission while deciding an appeal has observed that collection of information cannot amount to creation of information and desired that the above referred OM should be modified so as to avoid any confusion among public authorities.

3. The undersigned is directed to clarify that the OM dated 12.6.2008 does not propose to say that collection of information per se amounts to creation of information. The above referred statement has been made to emphasize that the public authority to whom the application is made is not required to collect information from different public authorities to supply it to the applicant.

4. Contents of this OM may be brought to the notice of all concerned.



(K.G. Verma)

Director

Tel: 23092158

1. All the Ministries / Departments of the Government of India

2. Union Public Service Commission/ Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/Election Commission.
3. Central Information Commission/State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
5. O/o the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All officers/Desks/Sections, DOP&T and Department of Pension & Pensioners Welfare.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.

Copy also to : The Central Information Commission with reference to the Commission's decision dated 6.4.2009 in appeals No.CIC/WB/A/2007/01551 & 1552.

SVR/PSH

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 01 जून 2009.

कार्यालय जापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवेदनों का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से सम्बद्ध सूचना मांगी गई हो।

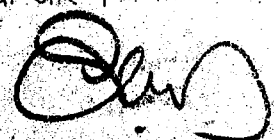
उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 12 जून, 2008 के समसंख्यक कार्यालय जापन के पैरा-8 के खण्ड (iii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नानुसार कहा गया है:-

“सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग-अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हों, को एकत्र किया जाना, सूचना का सृजन किया माना जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है।”

2. केन्द्रीय सूचना आयोग ने एक अपील को निपटान करते समय यह टिप्पणी की है कि सूचना को एकत्र किए जाने को सूचना का सृजन नहीं माना जा सकता और चाहा कि उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय जापन को संशोधित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार के भ्रम को दाला जा सके।

3. मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 12.6.2008 के कार्यालय में यह कहा प्रस्तावित नहीं है कि सूचना का एकत्र किया जाना स्वभावतः सूचना का सृजन है। उपर्युक्त वक्तेय इस बात को बलपूर्वक कहने के लिए दिया गया है कि आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह आवेदक को सूचना प्रदान करने के लिए अलग-अलग लोक प्राधिकरणों से सूचना एकत्र करे।

4. इस कार्यालय जापन की विषयवस्तु सभी सम्बन्धितों के ध्यान में ला दी जाए।



(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक

दूरभाष: 23092158.

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग।

3. केन्द्रीय सूचना आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।

प्रति प्रेषित: सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

प्रति: केन्द्रीय सूचना आयोग के अपील संख्या-सीआईसी/डब्ल्यू.बी./ए./2007/0155 एंड 1552 के बारे में उनके दिनांक 06.04.2009 के निर्णय के संदर्भ में ।